

मद संख्या XIX (त)

खुद की पहल पर खुलासा की गई जानकारी

क्र.सं.	मद	प्रकटीकरण का विवरण	सूचना/आवश्यक वेब लिंक
XIX(त)	मद/सूचना का खुलासा किया जाए ताकि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए आरटीआई अधिनियम का कम से कम सहारा लेना पड़े	आरटीआई प्रकटन की सामग्री को नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है। इसके अलावा, आरईसी की यूनिट्स द्वारा आरईसी की वेबसाइट की नियमित रूप से अद्यतन/समीक्षा की जाती है।	